न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर–कैम्प दूदू

(पीठासीन अधिकारीः–श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–117/2012/75 (2012/00099)

1. रामचन्द्र पुत्र उगमाराम, जाति गुर्जर,
2. दूदा पुत्र उगमाराम, जाति गुर्जर,
3. देवकरण पुत्र उगमाराम, जाति गुर्जर,

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भिनाय, जिला अजमेर ।
2. श्रीमती अनोपी पत्नि सुवा, जाति खारोल,
3. गोपाल पुत्र सुवा, जाति खारोल,
4. रामचन्द्र पुत्र सुवा, जाति खारोल,
5. अम्बालाल पुत्र सुवा, जाति खारोल,
6. भागचन्द पुत्र सुवा, जाति खारोल,

समस्त निवासीगण ग्राम नागोल, तह0 भिनाय, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आवंटन आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 10.6.2002.

उपस्थितः–

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट संख्या 1.
3. श्री राघवेन्द्रसिंह राणावत, वकील रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 6

निर्णय

दिनांकः–16.08.2018

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आंवटन आदेश दिनांक 10.6.2002 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 6 के पति एवं पिता सुवा एवं रेस्पो0 संख्या 2 श्रीमती अनोपी पत्नि सुवा के पक्ष में आराजी खसरा नंबर 568 रकबा 0.05 है0 किस्म बारानी–2 अवस्थित ग्राम नागोला का दिनांक 10.6.2002 को आवंटन आदेश पारित किया । उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के उक्त आवंटन आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।
3. विद्वान वकील अपीलांटस ने सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् अपीलाधीन आवंटन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने पर बहस करते हुए कथन किया कि आवंटन आदेश की प्रोसेडिंग में अपीलांटस पक्षकार नहीं थे जबकि आवंटित भूमि पर अपीलांटस का पूर्वजों के समय से लगभग 50 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है, अपीलांटस का बाड़ा बना हुआ है जिसे मवेशियों को बांधने के काम में लिया जा रहा है । अपीलाधीन आवंटन आदेश से अपीलांटस के हित व

अधिकार प्रभावित होते है जिससे अपीलांटस पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार है । अतः अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 10.6.2002 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि आवंटन आदेश दिनांक 10.6.2002 की जानकारी अपीलांटस को दिनांक 16.1.2012 से पूर्व नही थी । अपीलांटस को आवंटन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 16.1.2012 को पटवारी हल्का, नागोला के मौके पर आने पर हुई, जिस पर अपीलांटस ने आवंटन आदेश की जानकारी कर आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति हेतु दिनांक 17.1.2012 को आवेदन किया जिस पर अपीलांटस को दिनांक 15.2.2012 को आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई, तत्पश्चात् अपीलांटस ने दिनांक 16.2.2012 को अभिभाषक से संपर्क कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5. बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण सुनी गई । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विवादित भूमि पर अपीलांटस का बाड़ा पूर्वजों के समय से बना हुआ है तथा वर्तमान में अपीलांटस उक्त बाड़े का उपयोग करते आ रहे है । अपीलांटस उक्त बाड़े में मवेशी बांधते है, रोड़ी डालते है तथा मवेशियों के चरने के लिये ठाण बनी हुई है एवं उक्त बाड़े में अपीलांटस के निवासी के लिये झौंपड़ी भी बनी हुई है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि विवादित आराजी रेस्पो0 संख्या 2 व उसके पति को आवंटन करने से पूर्व न तो आम सूचना जारी की गई है और ना ही अपीलांटस को नोटिस दिया गया है । पटवारी हल्का, नागोला ने मौके के विपरीत रिपोर्ट प्रस्तुत की है । विवादित आराजी परअ पीलांटस का कब्जा होने से विवादित आराजी का आवंटन योग्य नहीं थी । पटवारी हल्का ने विवादित भूमि पर रेस्पो0 संख्या 2 व उसके पति का कब्जा गलत बताया है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 2 के पति के आवंटन प्रार्थना पत्र न तो दिनांक अंकित है और ना ही रेस्पो0 के पति के हस्ताक्षर ही है । इसी प्रकार रेस्पो0 संख्या 2 अनोपी पत्नि सुवालाल द्वारा आवंटन हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है एव ना ही रेस्पो0 संख्या 2 के उक्त प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर ही है । आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने उपरोक्त सभी तथ्यों की जांच किये बिना आवंटन आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 10.6. 2002 बाबत् खसरा नंबर 568 ग्राम नागोल को अपास्त किया जावे ।

6. विद्वान पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज होने तथा आवंटी रेस्पो0 संख्या 2 एवं उसके सुवालाल आवंटन के पात्र होने से आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर आवंटन की गई है । अपीलांटस द्वारा विवादित/आवंटित भूमि के संबंध में कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था । पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट में आवंटी को आवंटन का पात्र माना है । अधी0न्याया0 का आवंटन आदेश विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

7. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 6 ने जवाब बहस में कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 2 एवं उसके पति सुवालाल का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त होने से आवंटन हेतु आवेदन किये जाने पर बाद जांच आवंटन किया गया है । अपीलांटस विवादित भूमि पर 50 वर्षो से पूर्वजों

के समय से कब्जा होने का कथन करते है किन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय हाजा के समक्ष अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किये है तथा ना ही यह सिद्ध किया है कि आवंटन आदेश किस प्रकार गलत है । अधी0न्याया0 का आवंटन आदेश विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस अपास्त की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् अपील प्रस्तुत करने की अनुमति एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन आदेश से स्वंय को व्यथित होने का कथन करते हुए अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति चाही है । इस संबंध में प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी आदेश के विरूद्ध व्यथित पक्षकार ही अपील ला सकता है, उसे अपील लाने हेतु यह सिद्ध करना आवयक है कि वह किस प्रकार अपीलाधीन आदेश से व्यथित है । हस्तगत प्रकरण में अपीलांटस विवादित सिवायचक भूमि पर किस हैसियत से काबिज है यह स्पष्ट नहीं किया है । ज्यादा से ज्यादा प्रथमदृष्टया अपीलांटस सरकारी भूमि पर बिना विधिपूर्ण अधिकार के अतिक्रमी के रूप में काबिज माना जा सकता है । अतिक्रमी को कानूनी सरंक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता है । अतः अपीलांटस/प्रार्थीगण का विवादित आराजियात पर विधिपूर्ण/स्वामित्व प्रकट नहीं होता है । अतः इस भूमि उसकी हितबद्धता सिद्ध नहीं होने के कारण व्यथित पक्षकार साबित नहीं किये जाने के कारण अपील पेश करने की अनुमति बाबत! प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

9. अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का अवलोकन किया गया । अपीलांटस ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.6.2002 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 17.2.2012 को लगभग 10 वर्षो के भारी विलंब के उपरांत अपील प्रस्तुत की है । अपीलांटस/प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं संतोषप्रद नहीं है । अपीलांटस को विलंब के उचित एवं संतोषप्रद कारण सहित बताना आवश्यक था जिसमें अपीलांटस पूर्णतया असफल रहा है । बिना उचित एवं सद्भाविक कारणों के अपील में इतने भारी विलंब को क्षम्य किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 निरस्त किया जाता है ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति एवं धारा 5 मियाद अधि0 साबित नहीं पाये जाने से अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 10.6.2002 यथावत् रखा जाता है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 16.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर